

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या
16/20/2025

रजिस्टर्ड नम्बर
2025/13

प्रवेश तिथि
08.01.2025

निर्णय दिनांक
18.12.2025

1. सरकार जरिये तहसीलदार (भू0अ0) अलवर, जिला अलवर राज०।

—प्रार्थी

बनाम

1. अनिता, कला, निहाली, बीना, विद्या पुत्री रामजती
2. खुशीराम, मनीषकुमार पुत्र रामजती
3. केसर पत्नी रामजती,
4. पप्पू पुत्र बच्चूसिंह

समस्त जातियान जाट नि० केरवाजाट, तहसील व जिला अलवर राज०।

—अप्रार्थीगण

अपील प्रार्थना पत्र जेर नियम 14 (4)

भू-आवंटन नियम, 1970

उपस्थित:—

01—श्री दीपक मीणा, राजकीय अभिभाषक

—वकील प्रार्थी

—निर्णय:—

तहसीलदार अलवर ने जरिये राजकीय अभिभाषक यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-14 (4) भूमि आवंटन नियम, 1970 जिसके द्वारा अप्रार्थीगण के पक्ष में ग्राम केरवाजाट, तहसील व जिला अलवर की आराजी खसरा न० 1305 रकबा 0.05 है०, ख.नं. 1307/1700 रकबा 0.09 है० किता 2 कुल रकबा 0.34 हैक्टेयर किस्म चाही3 भूमि का आवंटन किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी/अप्रार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित।

प्रार्थी की ओर से विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि आराजी खसरा न० 1305 रकबा 0.05 है०, ख.नं. 1307/1700 रकबा 0.09 है० किता 2 कुल रकबा 0.34 हैक्टेयर किस्म चाही3 भूमि वाके ग्राम केरवाजाट तहसील व जिला अलवर सन् 1970 के बाद अप्रार्थीगण को वास्ते कृषि कार्य के लिए आवंटन किया गया था। अप्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त भूमि आवंटन होने के बाद आवंटन की शर्तों के मुताबिक अप्रार्थी द्वारा उसकी पालना नहीं की गई है ना ही आवंटन के समय कब्जा रहा है। जिस बाबत पटवारी हल्का खेडली सैयद की रिपोर्ट दिनांक 13.11.2024 से स्पष्ट रूप से जाहिर व साबित है कि मौके पर अप्रार्थी का कोई कब्जा काशत नहीं है तथा ना ही मौके पर फसल पाई गई। अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि को आवंटन होने के बाद काम में नहीं लिया गया है। जिससे अप्रार्थीगण द्वारा राज० कृषि भूमि आवंटन नियम 1970, नियम 14 (4) के तहत निरस्त किया जाना अति आवश्यक है। पटवारी हल्का रिपोर्ट प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न है।

प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान के सुनने योग्य है। अतः श्रीमान की सेवा में यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है की आवंटन सन् 1970 के बाद जो आवंटन अप्रार्थीगण को आराजी खसरा न० 1305 रकबा 0.05 है०, ख.नं. 1307/1700 रकबा 0.09 है० किता 2 कुल रकबा 0.34 हैक्टेयर किस्म चाही3 भूमि वाके ग्राम केरवाजाट का किया गया था, उसे निरस्त फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से राजकीय अभिभाषक की बहास सुनी। विद्वान राजकीय अभिभाषक ने तर्क दिया कि विवादित भूमि का आवंटन अप्रार्थीगण को कृषि कार्य हेतु किया गया था। परन्तु, पटवारी हल्का खेडली सैयद की रिपोर्ट दिनांक 13.11.2024 व दैनिक डायरी रिपोर्ट दिनांक 12.11.2024 से यह स्पष्ट है कि मौके पर अप्रार्थीगण का कोई कब्जा नहीं है एवं अन्य दीगर व्यक्तियों द्वारा कृषि कार्य (काशत) किया जा रहा है। आवंटन की मूल शर्त "स्वयं काशत" की पालना नहीं की जा रही है। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा न० 1305 रकबा 0.05 है०, ख.नं. 1307/1700 रकबा 0.09 है० किता 2 कुल रकबा 0.34 हैक्टेयर किस्म चाही3 भूमि वाके ग्राम केरवाजाट मौके पर गैर खातेदार आवंटन का कब्जा नहीं है एवं किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कृषि कार्य किया जा रहा है। उक्त खसरे पर अन्य


अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम),
अलवर (राज०)

व्यक्तियों द्वारा काशत की जा रही है एवं ग्रामवासीयान द्वारा यह अवगत कराया कि उक्त खसरे पर गैर-खातेदार का कब्जा नहीं है। राजस्थान भू-राजस्व (भूमि आवंटन) नियम, 1970 का मुख्य उद्देश्य भूमिहीन कृषकों को जीवनयापन हेतु भूमि देना है, बशर्ते वे उस पर स्वयं काशत करें।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अप्रार्थीगण ने आवंटन की शर्तों का उल्लंघन किया है। वे विवादित भूमि पर न तो स्वयं काशत कर रहे हैं और न ही उनका मौके पर कब्जा पाया गया है। भूमि का उपयोग उस उद्देश्य (कृषि) के लिए नहीं किया जा रहा है जिसके लिए राज्य सरकार ने इसे आवंटित किया था। अतः प्रार्थी (तहसीलदार) का प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी, तहसीलदार अलवर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू-राजस्व (कृषि उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन) नियम, 1970 स्वीकार किया जाता है और ग्राम केरवाजाट, तहसील व जिला अलवर स्थित आराजी खसरा न0 1305 रकबा 0.05 है0, ख.नं. 1307/1700 रकबा 0.09 है0 किता 2 कुल रकबा 0.34 हैक्टेयर किस्म चाही3 भूमि का आवंटन, जो अप्रार्थीगण/आवंटी (अनिता, कला, निहाली, बीना, विद्या पुत्री रामजती, खुशीराम, मनीषकुमार पुत्र रामजती, केसर पत्नी रामजती, पप्पू पुत्र बच्चूसिंह -समस्त जातियान जाट) के पक्ष में किया गया था, उसे तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। उक्त भूमि को अप्रार्थीगण के नाम से खारिज कर पुनः सिवायचक (राजकीय) भूमि के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)